दिनाँक 14/01/24 को अवैध वसूली करने वाले पूर्व में जिला बदर अभियुक्त व उसके साथियों पर दून पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, गिरफ्तारी के किये जा रहे है प्रयास।

दिनांक 14/01/24 को वादी अब्दुल वाहिद पत्र नसीम अहमद निवासी कारगी चौक, गैस गोदाम, पटेल नगर द्वारा थाना नेहरू कॉलोनी में लिखित तहरीर दी की वह LIC बिल्डिंग के पास सब्जी मंडी में सब्जी की ठेली लगाता है। दिनांक 11/01/24 को सब्जी मंडी में राहुल ओबेरॉय, सोनू सुंदरलाल, संजय व अन्य लड़कों द्वारा उनसे मारपीट की गई थी, जिसके संबंध उसके द्वारा थाना नेहरुकोलोनी में मुकदमा दर्ज कराया गया था, अभियुक्त संजय और राहुल ओबेरॉय द्वारा उसके पास आकर उक्त केस को वापस लेने का दबाव बनाया गया तथा सोनू सुंदरलाल द्वारा समझौते तथा उक्त स्थान में ठेली लगाने के एवज में उससे 01 लाख रुपये की मांग की गई तथा पैसा ना देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर तत्काल थाना नेहरू कॉलोनी में मु0अ0सँ0-16/24, धारा 386/506 भादवि बनाम सोनू सुंदरियाल व अन्य पंजीकृत किया गया है। अभियोग में नामजद अभियुक्त सोनू व अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। अभियुक्त सोनू सुंदरियाल के विरुद्ध पूर्व में भी जनपद के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, मारपीट व अन्य आपराधिक मामलों के अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना नेहरू कॉलोनी में गुंडा एक्ट के तहत भी अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें थाना नेहरुकोलोनी पुलिस द्वारा अभियुक्त को 06 माह के लिए जिला बदर किया गया था।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सोनू सुंदरियाल उर्फ सोनू मूंछः-

1- मु0अ0सं0 146/ 18 धारा 147/ 323/ 506/ 427 भादवी, थाना नेहरू कॉलोनी, देहरादून
2- मु0अ0सं0 181/18 धारा 147/307/ 323/504/ 506/ 427 भादवी, थाना डालनवाला, देहरादून
3- मु0अ0सं0 - 77/19 धारा - 323/504/ 506/ 120 बी भादवी, कोतवाली पटेलनगर, देहरादून
4- मु0अ0सं0 86/23 धारा 3/10 गुंडा एक्ट, थाना नेहरू कॉलोनी देहरादून
5- मु0अ0सं0 14/24, धारा 147/ 323/504/506/ 427 भादवी थाना नेहरू कॉलोनी, देहरादून